अपील संख्या एस–04/ए/0721/2025

श्री संचितराम बनाम ज0सू0अ0, कार्या0 जिलाधिकारी, जनपद–गोण्डा।

डॉ0 दिलीप कुमार अग्निहोत्री मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

आदेश

कारण बताओ नोटिस

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं। विपक्षी जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित हैं। अपीलकर्ता द्वारा मा0 आयोग को यह अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में उसे अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि **आयोग के आदेश दिनाँक 29–12–2025 के द्वारा विपक्षी जनसूचना अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–गोण्डा को कारण बताओ नोटिस प्रेषित करते हुए अपीलकर्ता के मूल आवेदन पत्र दिनाँक 09–09–2024 के क्रम में सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।** किन्तु विपक्षी जनसूचना अधिकारी द्वारा न तो अपीलकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध करायी गई हैं और न ही आज आयोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं।

वर्णित स्थिति में विपक्षी जनसूचना अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–गोण्डा को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत पुनः कारण बताओ नोटिस निर्गत की जाए कि उनके द्वारा अपीलकर्ता को सूचना क्यों नहीं दी गई और क्यों न इस कारण उनके विरूद्ध दण्ड अधिरोपित कर दिया जाए।

वाद वास्ते अगली **सुनवाई दिनांक 27–04–2026** को पेश हो।

18–02–2026

साकेत द्विवेदी

अपीलकर्ता–

विपक्षी–

यह आदेश
दि0 14/03/26
को अपलोड किया गया
आशु लिपिक